भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना
26 मई 2010

सं० 3/क0वि0रा0म0आ0–102/05–2291—समाज कल्याण विभाग, पटना के अधिसूचसना संख्या–1731, दिनांक 2 नवम्बर 2007 द्वारा बिहार राज्य महिला आयोग के पुनर्गठन के फलस्वरूप श्रीमती लेसी सिंह पूर्व विधायिका, ग्राम+पोस्ट–सरसी, थाना–सरसी, जिला–पूर्णिया को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया था।

1. श्रीमती लेसी सिंह, अध्यक्ष, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक 28 अप्रील 2010 पर विचारोंपरान्त बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा–4 के कंडिका–2 (घ) में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद के विरूद्ध त्याग–पत्र स्वीकृत किया जाता है।

2. यह तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम लखन रविदास, संयुक्त सचिव।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना
12 मई 2010

सं० 25 सं./वि 2–23/2000–159—वैशाली पुरातात्विक उत्खनन में प्राप्त एवं पटना संग्रहालय में संगृहीत ''भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि मंजूषा'' के पुरातात्विक एवं धार्मिक महत्व तथा इसके सार्वजनिक प्रदर्शन की जन–अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, वैशाली में एक स्वतंत्र संग्रहालय निर्माण के राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 167, दिनांक 8 अप्रील 2005 के द्वारा निर्गत की गयी थी।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वैशाली में बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय निर्माण के साथ ही, भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि मंजूषा के प्रदर्शन के लिये, एक स्मृति स्तूप का भी निर्माण कराया जायेगा।

3. अधिसूचना संख्या 167, दिनांक 8 अप्रील 2005 को इस हद तक संशोधित समझा जाये।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विवेक कुमार सिंह, सचिव।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचनाएं
23 मार्च 2010

सू० प्रा०–34/2010–328—सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की तरह राज्य सरकार राश्ट्रीय ई.–शासन योजना (NeGP) का परिवर्तन कर रहा है, जिसका उद्देश्य शासन एवं सांस्थानिक तंत्र तैयार करना तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न मिशन मोड का कार्यान्वयन करना है।

विदित हो कि राश्ट्रीय ई.–शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य सरकार भारत सरकार की तरह किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकीय अवरोध से बचने के लिए मुक्त मानकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है।

आप अवगत हैं कि ई.–शासन में मानक एक उच्च प्राथमिकता वाला कार्य–कलाप है, जिससे सूचना को आपस में बाँटने तथा विभिन्न ई.–शासन अनुप्रयोगों में डेटा की अविछिन्न अन्तर–प्रचालनीयता का सुनिश्चय होता है। सूचना प्रावैधिकी

विभाग, बिहार, पटना ने ई.–शासन के मानक तैयार करने/अपनाने के उद्देश्य राश्ट्रीय ई.–शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय ई.–शासन शीर्ष समिति (SeGP Apex Committee) का गठन किया है।

विभिन्न भाषाओं में सूचना की उपलब्धता की कमी के कारण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में धीमी प्रगति हो रही है और I.C.T. का लाभ सामान्य जनता के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भाषा प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण पर ध्यान मानकीकरण के अन्तर्गत दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार भी इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें।

विदित हो कि भारत सरकार के द्वारा **यूनिकोड–5.1.0** के अक्षर कोडीकरण मानक के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है, जिसके तहत् बहुभाषी पाठ के प्रस्तुतीकरण के लिए पूरे विश्व में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है और भारतीय भाषाओं का भी समर्थन करता है, और इसके साथ–साथ यह संविधान द्वारा स्वीकृत सभी भाषाओं के लिए अनुप्रयोगों के स्थानीयकरण को सरल बनाता है।

अतः सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार भी **यूनिकोड–5.1.0** तथा इसके भावी संस्करणों को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से ई.–शासन अनुप्रयोगों के मामले में मानक के रूप में अधिसूचित करता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

---

23 मार्च 2010

सू० प्रा०–34/2010–340—सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की तरह राज्य सरकार राष्ट्रीय ई.–शासन योजना (NeGP) का परिवर्तन कर रहा है, जिसका उद्देश्य शासन एवं सांस्थानिक तंत्र तैयार करना तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न मिशन मोड का कार्यान्वयन करना है।

विदित हो कि राष्ट्रीय ई.–शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य सरकार भारत सरकार की तरह किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकीय अवरोध से बचने के लिए मुक्त मानकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है।

आप अवगत हैं कि ई.–शासन में मानक एक उच्च प्राथमिकता वाला कार्य–कलाप है, जिससे सूचना को आपस में बाँटने तथा विभिन्न ई.–शासन अनुप्रयोगों में डेटा की अविछिन्न अन्तर–प्रचालनीयता का सुनिश्चय होता है। सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना ने ई.–शासन के मानक तैयार करने/अपनाने के उद्देश्य राष्ट्रीय ई.–शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय ई.–शासन शीर्ष समिति (SeGP Apex Committee) का गठन किया है।

विभिन्न भाषाओं में सूचना की उपलब्धता की कमी के कारण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में धीमी प्रगति हो रही है और I.C.T. का लाभ सामान्य जनता के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भाषा प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण पर ध्यान मानकीकरण के अन्तर्गत दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार भी इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें।

विदित हो कि भारत सरकार के द्वारा **आईएसओ/आईईसी–14496–ओएफएफ (मुक्त फोन्ट प्रारूप)** को फोन्ट के के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है, एक अन्तर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित है तथा डेटा भण्डारण के लिए यूनिकोड का अनुपालन करता है। इससे विभिन्न अनुप्रयोगों तथा प्लेटफॉर्मों पर डेटा को ले जाना सुनिश्चित होता है।

अतः सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार भी **आईएसओ/आईईसी–14496–ओएफएफ (मुक्त फोन्ट प्रारूप)** को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से ई.–शासन अनुप्रयोगों के मामले में सभी 22 भारतीय भाषाओं के लिए मानक फोन्ट के रूप में अधिसूचित करता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं

18 जून 2010

सं० अ०पा०-95/2008-538—राज्य सरकार ने Bihar Capacity Building Technical Assistance (BCBTA) के लिए DFID विश्व बैंक Trust Fund की सहायता से एक नये Procurement Manual एवं Standard Bidding Document बनाने का निर्णय लिया है । इस क्रम में Terms of Reference के आलोक में प्रधान सचिव, वित्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-